22.07.2015

षोडश माला, खंड 11, अंक 2

बुधवार, 22 जुलाई, 2015
31 आषाढ़, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 11 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

22.07.2015

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कीर्ति यादव
संयुक्त निदेशक

विपिन कुमार पाल
उप-निदेशक

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

22.07.2015

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2015 / 1937 (शक)
अंक 2, बुधवार, 22 जुलाई, 2015 / 31 आषाढ़, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
विभिन्न दु:खद घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्ति	10
***प्रश्नों के लिखित उत्तर**	14
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40	
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460	

*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत:, ये तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न माने गये ।

22.07.2015

अध्यक्ष द्वारा बधाई

सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, सुमित नागल और शुभम जगलान को क्रमशः इंग्लैंड में विंबल्डन युगल (महिला) और मिश्रित युगल चैंपियनशिप और सैन डिएगो, संयुक्त राज्य अमेरिका में जूनियर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप जीतने पर बधाई।

15

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना 16-17

सभा पटल पर रखे गए पत्र 18-20

राज्य सभा से संदेश 21

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति 22

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

8वें से 10वां प्रतिवेदन 23

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

(एक)261वें से 264वां प्रतिवेदन 24

(दो) साक्ष्य 25

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन – समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव। 26

22.07.2015

नियम 377 के अधीन मामले 27-43

(एक) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 28

(दो) पोंडा, गोवा में ऐतिहासिक आन्दोलन को दर्शाए जाने के लिए भूमि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

एडवोकेट नरेंद्र केशव सावईकर 29

(तीन) देश में खाद्यान्नों के भंडारण की पर्याप्त सुविधाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. मोहन 30

(चार) उदयपुर, राजस्थान में झीलों तथा आयड़ नदी के पुनरुद्धार के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन लाल मीणा 31

(पांच) देवघर, झारखंड में प्रस्तावित एम्स जैसा संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

श्री निशिकांत दुबे 32

(छह) महाराष्ट्र में रहने वाले बंगाली समुदाय के सभी पात्र लोगों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र दिए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक महादेवराव नेते 33

(सात) राजस्थान के सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में वनस्पति तथा वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विस्तृत योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्र प्रकाश जोशी 34

(आठ) जैविक कृषि उत्पादों को दूरदराज के बाजारों तक पहुंचाने हेतु राजस्थान के सीकर जिले के किसानों को राज सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुमेधानन्द सरस्वती 35

(नौ) सूरत और वाराणसी के बीच नई रेल सेवा शुरू किए जाने तथा इन दो शहरों के बीच वर्तमान रेल सेवाओं में सुधार के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश 36

(दस) कर्नाटक के बंगलौर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. के. सुरेश 38

(ग्यारह) तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री एस. राजेन्द्रन 39

(बारह) तमिलनाडु में कल्लानी बांध के पुनरुद्धार हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री के. परसुरमन 40

(तेरह) पारादीप में डॉपलर मौसम रडार की स्थापना और प्रचालित करने संबंधी कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल 41

(चौदह) एंड्रोट द्वीप, लक्षद्वीप में यात्री तथा पोत संचालन को सुगम बनाए जाने के लिए ब्रेकवॉटर स्ट्रक्चर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

मोहम्मद फैज़ल 42

(पंद्रह) ढाँगर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी 43

22.07.2015

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तम्बिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यदव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

22.07.2015

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 22 जुलाई, 2015 / 31 आषाढ, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुई*]

22.07.2015

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं अपना प्रस्ताव आपके सामने रखूं, उसके पहले एक निवेदन है कि आप सभी जानते हैं कि सदन में किसी भी प्रकार से कोई काला झंडा दिखाना या काली पट्टी बांधना भी उचित नहीं होता है। आप कृपया इस पर थोड़ा विचार करें। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है।

... (व्यवधान)

22.07.2015

पूर्वाह्न 11.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

विभिन्न दु:खद घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्ति

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, 13 जून, 2015 को राजस्थान के टोंक जिले में बस पर बिजली की तार गिर जाने से 15 यात्री मारे गए और 31 अन्य घायल हुए।

एक अन्य घटना में 20 जून, 2015 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक बस गहरी खाई में गिर जाने से 12 लोग मारे गए और 22 अन्य घायल हो हुए।

माननीय सदस्यगण, इसी प्रकार 1 जुलाई, 2015 को दार्जिलिंग में निरंतर वर्षा के फलस्वरूप भूस्खलन से प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और उसमें 32 से आधिक लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए।

हाल ही में गुजरात में आई बाढ़ में भी कथित रूप से 70 के आस-पास लोग मारे गए, कई अन्य घायल हो गए, फसल को भी भारी नुकसान हुआ। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, असम तथा देश के अन्य भागों में भारी वर्षा होने से कई प्रकार का नुकसान भी हुआ है।

14 जुलाई, 2015 को, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी मे "गोदावरी पुष्करम " त्योहार के दौरान मची भगदड़ में 29 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

इसी प्रकार, विदेश में घटी एक अन्य दु:खद घटना में, 1 जून, 2015 को चीन में यांगत्से नदी में एक क्रूज पोत के डूब जाने के कारण 440 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।

सभा इन दु:खद घटनाओं पर गहरा दु:ख व्यक्त करती है एवम् प्रभावित शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

22.07.2015

माननीय सदस्यगण, भारत और विदेश में भी आतंकवादी हमलों की अनेक दुःखद घटनाएं घटी हैं। 4 जून, 2015 को मणिपुर के चंदेल जिले में एक सैन्य दल पर आतंकवादी हमले में 20 सैन्यकर्मी मारे गए और 11 अन्य घायल हो गए।

22 जून, 2015 को अफगानिस्तान की संसद पर भी आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था। जिसमें अफगानी सांसदों को निशाना बनाने के प्रयासों को विफल कर के एक भयावह त्रासदी को टाल दिया गया।

26 जून, 2015 को फ्रांस, कुवैत और ट्यूनिशिया में भी आतंकवादी हमलों की घटनाएं घटित हुईं। लियोन, फ्रांस में रासायनिक कारखाने में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसी दिन कुवैत में भी एक मस्जिद में हुए हमले में अनेक निर्दोष लोग मारे गए और अनेक श्रद्धालु घायल हुए, जिनमें भारतीय भी शामिल थे। ट्युनिशिया में एक अन्य आतंकवादी हमले में, विभिन्न राष्ट्रों के 39 निर्दोष लोगों की मौत हो गई तथा कई व्यक्ति घायल हुए।

यह सभा इन आतंक और निरर्थक हिंसा के इन हमलों की घोर निंदा करती है। ऐसी घटनाएं सभी तरह के आतंक से निपटने संबंधी हमारे संकल्प को और भी दृढ़ बनाती है।

सभा इन आतंकवादी हमलों में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

<u>पूर्वाह्न 11.04 बजे</u>

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री एन.के. प्रेमचंद्रन, मल्लिकार्जुन खड़गे, कोडिकुन्नील सुरेश, ए.पी. जितेंद्र रेड्डी, धर्मेंद्र यादव, प्रो. सौगत राय, सर्वश्री जय प्रकाश नारायण यादव, एम.बी. राजेश, पी. करुणाकरन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, डॉ. एम. वीरप्पा मोइली, ई. अहमद और शंकर प्रसाद दत्ता से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं।

यद्यपि ये मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके चलते दिन के कामकाज में व्यवधान डालना अपेक्षित नहीं हैं। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को अस्वीकार कर दिया है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया करके कोई तख्तियां न दिखाए। अब, प्रश्नकाल।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप इसे अभी नहीं बल्कि बाद में उठाईएगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 21, श्री सुनील कुमार मण्डल।

… (*व्यवधान*)

श्री सुनील कुमार मण्डल (बर्धमान-पूर्व): प्रश्न संख्या 21 ... (*व्यवधान*)

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया करके कोई तख्तियां न दिखाए। मैं आपको तख्तियां नहीं दिखाने के लिए कह रही हूं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी।

… (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.07 बजे</u>

इस समय, श्री के. सी. वेणुगोपाल, प्रो. ए.एस.आर. नायक और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। तख्तियां और कोई काला रिबन या उस तरह का कुछ भी लेकर नहीं आएं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते हैं।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं। मुझे खेद है।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>पूर्वाह्न 11.09 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

22.07.2015

<u>प्रश्नों के लिखित उत्तर</u>[1]

(तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460)

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

22.07.2015

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।)

(**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*)

अध्यक्ष द्वारा बधाई

सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, सुमित नागल और शुभम जगलान को क्रमशः इंग्लैंड में विंबल्डन युगल (महिला) और मिश्रित युगल चैंपियनशिप और सैन डिएगो, संयुक्त राज्य अमेरिका में जूनियर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप जीतने पर बधाई।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की ओर से 11 जुलाई, 2015 को विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता में महिला युगल खिताब जीतने वाली महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा को बधाई देने में आप सभी मेरे साथ होंगे।

सभा 12 जुलाई, 2015 को विम्बल्डन मिश्रित युगल खिताब जीतने पर लिएंडर पेस और विम्बल्डन जूनियर युगल खिताब जीतने के लिए 17 वर्षीय सुमित नागल को भी हार्दिक बधाई देती है।

माननीय सदस्यगण, 17 जुलाई 2015 को सैन डिएगो, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप जीतने पर 10 वर्षीय शुभम जगलान को सभा की ओर से बधाई देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

ये उत्कृष्ट उपलब्धियाँ राष्ट्रीय गौरव की बात है और हमारे सभी उदीयमान खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

हम सानिया मिर्ज़ा, लिएंडर पेस, सुमित नागल और शुभम जगलान को उनके भावी प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएँ देते हैं।

22.07.2015

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

<u>अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी</u>

सभा में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखना

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, ज्यों ही आज सभा समवेत हुई, सभा में विद्यमान स्थिति तथा सभा की कार्यवाही संबंधी शुचिता को ध्यान में मैंने शुरुआत में ही यह टिप्पणी की थी कि सदस्यों को काले झंडे, प्लाकार्ड प्रदर्शित करने तथा अन्य असंयमित आचरण से बचना चाहिए। इसके बावजूद, मैं यह देखकर अत्यंत चिंतित हूँ कि कई सदस्य नारे लगते हुए, प्लाकार्डों को दिखते हुए तथा सभा की कार्यवाही को बाधित करते हुए सभा के बीचोंबीच आ गए जिसके कारण मुझे सभा की कार्यवाही को मध्याह्न 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा।

सभा में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना संसद की विश्वसनीयता और गरिमा बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण संबंधी सुस्थापित मानदंड विद्यमान है जो प्रक्रिया तथा सभा में कार्य संचालन के नियमों के अंतर्गत प्रदत्त है। इन नियमों को निरपवादतः समाचार भाग-2 के विभिन्न पैराओं के माध्यम से भी माननीय सदस्यों के ध्यान में लाया जाता है। उदाहरण के लिए नियम 349 के अंतर्गत सदस्यों द्वारा सभा में 'पालन किए जाने वाले शिष्टाचार के मानदंडों तथा नियमों संबंधी मानकों का प्रावधान है। नियम 351 में सभा को सम्बोधित करने की रीति तथा नियम 352 में सभा में बोलते समय सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख किया गया है।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष: य़ह मैं नए सदस्यों के लिए बता रही हूँ। इसके अलावा नियम 350 के अनुसार केवल उसी सदस्य को सभा में बोलने का हक है जिसे अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने के लिए पुकारा गया हो। वहीं नियम 361 में अध्यक्ष के आसन से खड़े होने संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। मैं सदस्यों का ध्यान समय-समय पर इन उपबंधों की तरफ आकर्षित करती रही हूं।

परन्तु, मुझे यह कहते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि शिष्यचार के उक्त मानदंडों में से किसी भी मानदंड का पालन सदस्यों द्वारा नहीं किया जा रहा है और वस्तुतः इनका खुला उल्लंघन किया जा रहा है। मैंने सभा के सभी वर्गों को सामयिक विषयों को उठाने का पर्याप्त अवसर दिया है बशर्ते उसके संबंध में सदस्यों द्वारा उचित नोटिस दिया गया हो और वे इन मामलों को नियमों तथा शिष्टाचार के मानकों की परिधि के अंतर्गत उठाना चाहते हों। मैं यहां इस बात पर भी विशेष रूप से जोर देना चाहती हूं कि अमर्यादित आचरण किए जाने की स्थिति में मुझे दोषी सदस्यों के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं आशा करती हूं कि सभी सदस्य सभा में अनुशासन तथा मर्यादा बनाए रखने संबंधी शिष्यचार तथा व्यवहार के स्थापित मानदंडों का पालन करेंगे। ... (*व्यवधान*)

जो सदस्य यहां प्लाकार्ड तथा अन्य सामग्री को प्रदर्शित कर रहे हैं मेरा उन सभी से अनुरोध है कि वे तत्काल ऐसा करना बंद कर दें।... (*व्यवधान*) धन्यवाद। ... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

इस समय, श्री मोहम्मद सलीम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

22.07.2015

अपराह्न 12.06 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार करेगी।

श्री रवि शंकर प्रसाद।

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) अर्नेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अर्नेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 2717/16/15]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : महोदया, मैं श्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह की ओर से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधिकार (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 5) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 2718/16/15]

[अनुवाद]

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रपति द्वारा 30 मई, 2015 को प्रख्यापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्या 5)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 2719/16/15]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 15 जून, 2015 को प्रख्यापित परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश,2015 (2015 का संख्यांक 6) |

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 2720/16/15]

[हिन्दी]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी 2721/16/15]

(2) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2015 जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 491(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी 2722/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 2723/16/15]

22.07.2015

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 21 जुलाई, 2015 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा, 13 मई, 2015 को लोक सभा द्वारा पारित और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखे गए परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने के लिए राज्य सभा द्वारा अनुमति दिए जाने से सहमत हो।"

22.07.2015

अपराह्न 12.07 ½ बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मैं सोलहवीं लोकसभा के चौथे सत्र के दौरान संसद के सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित आठ विधेयक सभा पटल पर रखता हूं क्योंकि सभा में पिछली बार प्रतिवेदन 24 अप्रैल, 2015 को प्रस्तुत किया गया था:-

1. विनियोग (रेल) संख्यांक 2, विधेयक, 2015;
2. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2015;
3. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015;
4. संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2015;
5. निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2015;
6. वित्त विधेयक, 2015;
7. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2015; और
8. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण विधेयक, 2015;

मैं राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित और संसद के सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित तीन विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:-

1. भण्डारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2015;
2. निरसन और संशोधन विधेयक, 2015; और
3. संविधान (एक सौवां संशोधन) विधेयक, 2015

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 2724/16/15]

.....

22.07.2015

अपराह्न 12.08 बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
8वें से 10वां प्रतिवेदन

(अनुवाद)

श्री आनन्दराव अडसुल (अमरावती): मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा'की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

22.07.2015

<u>अपराह्न 12.08 ½ बजे</u>

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति
(एक) 261वें से 264वां प्रतिवेदन

(अनुवाद)

श्रीमती एम. वसन्ती (तेनकासी): मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) पंजाब-लुधियाना और अमृतसर के टियर-II शहरों में प्रदूषण के बारे में 261वां प्रतिवेदन।

(2) 'ताज पर प्रदूषण के प्रभाव' के बारे में 262वां प्रतिवेदन।

(3) 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का प्रतिवेदन' के बारे में 263वां प्रतिवेदन।

(4) "मुंबई और विशाखापत्तनम में पर्यावरणीय मुद्दे" के बारे में 264वां प्रतिवेदन।

22.07.2015

(दो) साक्ष्य

श्रीमती एम. वसन्ती: मैं 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति के प्रतिवेदन' के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 263वें प्रतिवेदन के संबंध में समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखती हूं।

22.07.2015

अपराह्न 12.09 ½ बजे

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन – समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय संसद के वर्तमान सत्र (मानसून सत्र 2015) के तीसरे सप्ताह के पहले दिवस तक बढ़ाती है।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय संसद के वर्तमान सत्र (मानसून सत्र 2015) के तीसरे सप्ताह के पहले दिवस तक बढ़ाती है।"
>
> *प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष : प्लाकार्ड दिखाने वाले सदस्य, कृपया बाहर जाएं। कोई प्लाकार्ड नहीं दिखाया जा सकता । मुझे खेद है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.10 बजे

तत्पश्चात लोकसभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

22.07.2015

<u>अपराह्न 02.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

[**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन* हुए]

… (*व्यवधान*)

नियम 377 के अधीन मामले *[2]

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के तहत मामले उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर व्यक्तिगत रूप से पर्चियां सौंप सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 02.01 बजे</u>

इस समय, श्री के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 02.01 ½ बजे</u>

इस समय, श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

… (*व्यवधान*)

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाएगा जिनकी पर्चियां निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रख दी गई थी तथा शेष को व्यपगत माना जाएगा।

… (*व्यवधान*)

[2] *सभा पटल पर रखे गए माने गए ।

22.07.2015

(एक) संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि लोक सभा में पिछली सरकार ने भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि भोजपुरी भाषा देश के विभिन्न हिस्सों में जैसे मुख्य रूप से पश्चिम बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी झारखण्ड के क्षेत्रों में बोली जाती है। भारत की जनगणना आँकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 3.3 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। पूरे विश्व में भोजपुरी जानने वालों की संख्या लगभग 5 करोड़ है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएं।

[अनुवाद]

(दो) पोंडा, गोवा में ऐतिहासिक आन्दोलनों को दर्शाए जाने के लिए भूमि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर (दक्षिण गोवा): पोंडा शहर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण काफी महत्वपूर्ण है और यह गोवा राज्य के केंद्र में स्थित है तथा मेरे दक्षिण गोवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तत्कालीन पुर्तगाली सरकार ने पोंडा में 6500 वर्ग मीटर भूमि का एक टुकड़ा पुर्तगाली सेना को सौंप दिया था। गोवा के पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त होने पर, उक्त भूमि को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था और तब से यह भारतीय सेना के कब्जे में बनी हुई है। विभिन्न प्रयासों के बाद, उक्त भूमि का 2530 वर्ग मीटर का एक हिस्सा भारतीय सेना द्वारा खाली कराया गया, जहां एक शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। उक्त स्मारक, जिसे क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, के नवीनीकरण के लिए पोंडा नगर परिषद ने उन ऐतिहासिक आंदोलनों के चित्रण का प्रस्ताव रखा है जिनके कारण गोवा मुक्ति हुआ था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शेष भूमि को खाली कराने के लिए बार-बार प्रयास किए गए हैं।

इसलिए, मैं सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और भूमि के शेष हिस्से को पोंडा नगर परिषद को सौंपे।

22.07.2015

(तीन) देश में खाद्यान्नों के भंडारण की पर्याप्त सुविधाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. सी. मोहन (बैंगलोर केन्द्रीय): वर्ष 2005 से 2013 के बीच, भारतीय खाद्य निगम ने स्वीकार किया है कि कई कारणों के चलते देश में 1,94,502 मीट्रिक टन से अधिक अनाज बर्बाद हो चुका है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, क्षतिग्रस्त स्टॉक जो वर्ष 2005-06 में 95,075 मीट्रिक टन था, वर्ष 2012-13 में घटकर 3,148 मीट्रिक टन पर आ गया। वर्ष 2006-07 में 25,353 मीट्रिक टन, वर्ष 2007-08 में 4,426 मीट्रिक टन और वर्ष 2008-09 में 20,114 मीट्रिक टन की बर्बादी हुई थी। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि क्षतिग्रस्त स्टॉक में से लगभग 84 प्रतिशत (1,63,576 मीट्रिक टन) चावल और 14 प्रतिशत गेहूं (26,543 मीट्रिक टन) था। जहां इतने लोग भूख से मर रहे हैं, वहां इतना अनाज बर्बाद हो रहा है। हालांकि अधिकारी प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात और बाढ़ को बर्बादी का कारण बता सकते हैं, लेकिन असली वजह अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं, चोरी, परिवहन के दौरान नुकसान और ठेकेदारों की लापरवाही है, जैसा कि गुजरात में हुआ था, जिस पर गुजरात हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी।

संयुक्त राष्ट्र के हंगर इंडेक्स के अनुसार, भारत में दुनिया में सबसे अधिक 194 मिलियन लोग भूख से पीड़ित लोग थे। एफ.सी.आई. के केंद्रीय पूल में 568.34 लाख टन खाद्यान्न है। खराब मानसून की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार को खाद्यान्न के भंडारण के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, शीत भंडारण में निवेश का प्रतिशत बढ़ाने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना चाहिए। सरकार को, राज्यों के माध्यम से रियायती लागत पर, गरीब लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न वितरित करना चाहिए।

22.07.2015

(चार) राजस्थान के उदयपुर में झीलों तथा आयड़ नदी के पुनरुद्धार के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): मेरा लोक सभा क्षेत्र उदयपुर (राजस्थान) पर्यटन एवं ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विश्व के मानचित्र पर अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उदयपुर शहर अरावली पर्वत मालाओं के मध्य स्थित चारों तरफ पानी की झीलों के मध्य बसा हुआ है। लगभग 5 लाख की आबादी वाला यह शहर, राजाओं के पुराने महल, बावड़ियाँ आदि स्थित हैं।

शहर के एक तरफ पिछोला झील, फतल सागर झील एवं पूर्वी भाग में उदय सागर झील बनी हुई है। फतह सागर से निकलने वाला पानी आयड़ नदी, जो हड़प्पा के काल से निकली हुई नदी है, उक्त नदी का पानी उदय सागर झील में जाता है तथा शहर का सीवरेज का पानी भी इसी नदी में जाता है जिससे पर्यावरण एवं जल प्रदूषित हो रहा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि झील संरक्षण एवं आयड़ नदी के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जाए।

22.07.2015

(पांच) झारखंड के देवघर में प्रस्तावित एम्स जैसा संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

(अनुवाद)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): देवघर (झारखंड) संथाल परगना क्षेत्र का एक केंद्र बिंदु है और पूरा संथाल परगना क्षेत्र पिछड़ा और गरीब है। इस क्षेत्र में कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। जनस्वास्थ्य पर होने वाला सरकारी खर्च कम होना और स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य परिचर्या में बढ़ती असमानताएं संथाल परगना की सीमांत और सामाजिक रूप से वंचित आबादी को प्रभावित कर रही हैं। यह क्षेत्र कुपोषण की चपेट में है, अनुमान के मुताबिक 75 प्रतिशत बच्चे और माताएं अल्परक्तता से पीड़ित हैं। जनजातीय क्षेत्र में पैदा होने वाले बच्चों के पांचवें जन्मदिन से पहले मरने की संभावना डेढ़ गुना अधिक होती है और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों में तीन साल से कम उम्र के बच्चों के अन्य समूहों के बच्चों की तुलना में कुपोषित होने की संभावना दोगुनी होती है। अन्य सामाजिक श्रेणियों की महिलाओं की तुलना में एक आदिवासी महिला के दीर्घकालिक कुपोषण के परिणाम भुगतने की संभावना डेढ़ गुना अधिक होती है।

मैं देवघर में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना करने का आग्रह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उपयुक्त भौगोलिक स्थिति और पड़ोसी शहरों यथा - दुमका, गोड्डा आदि से निकटता के कारण यहां रोगियों के लिए आने-जाने की आसानी होगी। देवघर, कोलकाता-पटना मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है और तीन राष्ट्रीय राजमार्गों से भी जुड़ा हुआ है। वहां 200 एकड़ भूमि भी उपलब्ध है।

मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि झारखंड में प्रस्तावित एम्स जैसा संस्थान देवघर में स्थापित किया जाए।

22.07.2015

(छह) महाराष्ट्र में रहने वाले बंगाली समुदाय के सभी पात्र लोगों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): महाराष्ट्र राज्य में मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर (महाराष्ट्र) लगभग 720 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में है जो संभवतः देश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लगभग एक लाख से आधिक बंगाली समाज वर्ष 1962 अर्थात विगत 52 वर्षों से पुनर्वास के तौर पर रह रहे हैं। सरकार ने बंगाली समाज को भूमि, मकान और आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं लेकिन उनको जाति के प्रमाण-पत्र की सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

मेरे नक्सल प्रभावित सवारधिक पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले गरीब बंगाली समाज को जाति का प्रमाण पत्र न मिलने से सरकार की दूसरी अन्य सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को लाभ उठाने से यह समाज वंचित है।

मैं सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि बंगाली समाज को पश्चिम बंगाल, कोलकात्ता, असम, ओड़िसा और निकट के राज्य छत्तीसगढ़ में " नमो शूद्र " यानि अनुसूचित जाति के रूप में जाति का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाया जा रहा है लेकिन महाराष्ट्र राज्य में बंगाली समाज को यह सुविधा अब तक नहीं मिल पायी है।

इस बारे में बंगाली समाज संगठन की ओर से कई बार शांतिपूर्वक संवैधानिक रूप से आंदोलन, धरना-प्रदर्शन एवं अनशन आयोजित किए जा चुके हैं और वे अपनी मांग के बारे में सरकार को पत्र-व्यवहार भी कर चुके हैं। उनकी मांग के बारे में जन-प्रतिनिधियों ने भी महाराष्ट्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है तथा केन्द्र सरकार से भी कई बार पत्र-व्यवहार हुआ है लेकिन, फिर भी आज तक बंगाली समाज को जाति का प्रमाण-पत्र नहीं मिल सका है जिस कारण बंगाली समाज में घोर असंतोष फैला हुआ है।

अतः ऐसी स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस गंभीर विषय की ओर ध्यान देकर शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करके बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिलाए जाने की सुविधा प्रदान की जाए। यह मेरी प्रार्थना है।

22.07.2015

(सात) राजस्थान के सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में वनस्पति तथा वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विस्तृत योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ की सीमा पर सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। धार्मिक पृष्ठभूमि वाले इस अभ्यारणय का इतिहास रामायण कालीन रहा है। माता सीता के वनवास का साक्षी सीता माता अभ्यारण्य प्राकृतिक संपदा से भी परिपूर्ण है। पौराणिक अवशेष के रूप में इस अभ्यारण्य में भागी बावड़ी, बाल्मिकी आश्रम, लवकुश के पद चिन्ह, हनुमान वाणी आदि है। अभ्यारण्य में अभी भी कई स्थानों पर पुराने अवशेष दिखाई देते हैं। यह अभ्यारण्य 429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विभिन्न प्रकार की दुर्लभ जड़ी-बूटियां भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहां पर 12 बीघा में फैला हुआ एक वट वृक्ष भी आकर्षण का केन्द्र है। सीता माता अभ्यारण्य में कैंसर के उपचार के लिए हस्ती पलाश एक पौधा भी पाया जाता है जिसके पत्तों के रस के सेवन से कैंसर रोगी को राहत मिलती है। प्राकृतिक दुर्लभ संयोग के रूप में ठण्डे एवं गर्म पानी का एक नाला भी समान रूप से बहता है। सीता माता अभ्यारण्य प्राकृतिक संपदा से भरा होने के साथ ही अपने आप में प्रकृति के कई दुर्लभ रूप समेटे हुए हैं। विश्व में अमेरिका के बाद केवल यहां पर इसी अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है जो अपने आप में विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं। अभ्यारण्य में सभी प्रकार के वन्य प्राणी रहते हैं।

अतः सीता माता अभ्यारण्य के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय वन एवं पर्यावरण तथा पर्यटन मंत्री से मांग करता हूं कि पौराणिक महत्व के सीता माता अभ्यारण्य के लिए विशेष सहायता एवं विकास की एक योजना तैयार कर दुर्लभ जीव-जन्तुओं एवं प्राकृतिक संपदा का संरक्षण एवं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने का निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि ऐतिहासिक अवशेषों का संरक्षण हो। वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण का प्रयास हो। साथ ही वन क्षेत्र के विस्तार के लिए वृहद स्तर के वृक्षारोपण की योजनाएं बनाने की मांग करता हूं।

22.07.2015

(आठ) जैविक कृषि उत्पादों को दूरदराज के बाजारों तक पहुंचाने हेतु राजस्थान के सीकर जिले के किसानों को राजसहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र विशेषकर सीकर जिले में बड़ी मात्रा में जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन हो रहा है। स्थानीय स्तर पर इन उत्पादों के बहुत कम खरीददार हैं एवं साथ ही किसानों को अपने जैविक कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर बहुत कम मूल्य प्राप्त होता है। किसान अपने कृषि उत्पादों को बाहर अन्य क्षेत्रों में नहीं भेज पाता। इसका मुख्य कारण परिवहन लागत का आधिक होना है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शेखावटी क्षेत्र में उत्पादित हो रहे जैविक कृषि उत्पादों को देश के अन्य भागों में पहुंचाने के लिए परिवहन सब्सिडी दी जाए ताकि आम लोग भी इन जैविक कृषि उत्पादों को प्राप्त कर सकें। इससे न सिर्फ किसानों को अपने कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकेगा आपितु जैविक कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा।

(नौ) सूरत और वाराणसी के बीच नई रेल सेवा शुरू किए जाने तथा इन दो शहरों के बीच वर्तमान रेल सेवाओं में सुधार के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : सूरत और वाराणसी दोनों औद्योगिक नगरी हैं। दोंनों शहरों का बहुत ही पुराना ऐतिहासिक संबंध रहा है। दोनों शहरों का आपसी व्यापारिक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। सूरत की जरी और वाराणसी की साड़ियों का व्यापार एक-दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर है। इसकी वजह से दोनों शहरों के व्यापारियों का सूरत और वाराणसी के बीच प्रायः आना-जाना लगा रहता है।

इसके साथ ही साथ वाराणसी और उसके आस-पास स्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग सूरत में रोजगार के लिए आकर बस गए हैं और सूरत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे प्रवासी उत्तर भारतीयों का अपने गांव आना-जाना लगा रहता है जिनकी संख्या गर्मी की छुट्टियों के समय काफी बढ़ जाती है। गाड़ियों की कमी की वजह से इन यात्रियों की दुःखद यात्रा का वर्णन करना काफी कठिन है।

इस संबंध में समय-समय पर पूर्व में कई बार रेल मंत्रालय के अधिकारियों और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र के माध्यम से कई सांसदों और समाजसेवी संस्थाओं ने अलग-अलग सूचित करते हुए अनुरोध किया था कि इस मार्ग पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए और एक दुरंतों जैसी नई गाड़ी चलाई जाए जिससे इस मार्ग के यात्रियों को भी एक बेहतर रेल सुविधा का लाभ मिल सके।

वाराणसी संसदीय क्षेत्र को आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। वाराणसी शहर एक धार्मिक स्थल और आध्यात्मिक नगरी भी है। सूरत सहित गुजरात के आधिकांश लोग प्रायः वाराणसी की धार्मिक यात्रा करते हैं। ऐसे में वाराणसी और उसके आस-पास के मूल निवासियों, सूरत तथा वाराणसी के व्यापारियों और

22.07.2015

धर्मपरायण नागरिकों को सूरत से वाराणसी तक सुविधाजनक रेल यात्रा का लाभ तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि सूरत वाराणसी के बीच नई रेल सेवा प्रारंभ करने के साथ ही साथ इस रूट की वर्तमान रेल सुविधाओं में सुधार करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

22.07.2015

(दस) बंगलौर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. के. सुरेश (बंगलौर ग्रामीण): मैं केंद्र सरकार का ध्यान अपने बंगलौर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रेल बजट के दौरान यह घोषणा की गई थी कि भारत के सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। हालांकि, घोषणा के बाद, रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। बंगलौर एक वैश्विक शहर है। लाखों यात्री प्रतिदिन शहर के रेलवे स्टेशन का उपयोग करते हैं। बंगलौर शहर रेलवे स्टेशन का उन्नयन लंबे समय से लंबित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बंगलौर ग्रामीण में, यशवंतपुरा, एनेका, बिदाड़ी, रामनगर और चन्नापटना रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। जब तक इन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण नहीं किया जाता है, तब तक 'यात्राओं में जीवन की गुणवत्ता' प्रदान करने का केंद्र सरकार का दृष्टिकोण सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगा।

22.07.2015

(ग्यारह) तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री एस. राजेन्द्रन (विल्लुपुरम): विल्लुपुरम तमिलनाडु के सबसे बड़े और सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। इसमें 10 राजस्व तालुक, 22 पंचायत संघ और 1490 राजस्व गाँव शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 'साक्षर भारत' योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तमिलनाडु को देश का 100% साक्षर राज्य बनाने के लिए नवोन्मेषी कदम उठा रहे हैं। हालांकि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी और निजी स्कूल हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। इतना ही नहीं, निजी स्कूल बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं। जिसके कारण निम्न और मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं दिला पा रहे हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्र सरकार के कई कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। उनके पास अपने बच्चों को आसपास के जिलों में प्रवेश दिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विल्लुपुरम, तमिलनाडु में एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाए।

22.07.2015

(बारह) तमिलनाडु में कल्लानी बांध के पुनरुद्धार हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री के. परसुरमन (तंजावुर): 2000 साल पहले कावेरी नदी पर निर्मित ग्रैंड अनाइकट "कल्लानाई" तमिलनाडु में चोल राजवंश द्वारा निष्पादित अद्भुत तकनीक का जीवंत उदाहरण है। वर्तमान समय में यह तंजावूर, त्रिची, नागापट्टिनम और तिरुवरूर निर्वाचन क्षेत्रों में दस हज़ार एकड़ भूमि की सिंचाई करता है। अब तमिलनाडु की सरकार ने इस ऐतिहासिक अनाइकट के जीर्णोद्धार के लिए केन्द्रीय जल आयोग को एक परियोजना रिपोर्ट सौंपी है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कि गई है, परियोजना के प्रथम चरण में 2610.00 करोड़ रुपये की लागत से ग्रैंड अनाइकट नहर प्रणाली के विस्तार, जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के कार्य होंगे। यदि प्रथम चरण पूरा हो जाता है तो तंजावुर, पुदुकोट्टई और तिरुवरूर जिलों की 3 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई का कार्य संभव हो पाएगा। इसलिए, किसानों और तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, मैं सरकार से इस परियोजना के प्रथम चरण के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ योजना को तुरंत स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

22.07.2015

(तेरह) पारादीप में डॉपलर मौसम रडार को स्थापित और प्रचालित करने संबंधी कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के साथ पूर्वी तटीय क्षेत्र चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। प्रत्येक वर्ष मई से नवंबर की अवधि के दौरान, यह क्षेत्र, विशेष रूप से जगतसिंहपुर, केंद्रापाडा, पुरी, बालासोर और गंजम जिले आपदाओं का दंश झेलते हैं, जिससे जान-माल का नुकसान होता है। विशेष रूप से, वर्ष 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद, भारत सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध के बाद चक्रवात की स्थिति पर नज़र रखने/पूर्वानुमान लगाने और हवा की गति को सटीक रूप से मापने के लिए ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में विभिन्न चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में डॉपलर मौसम रडार लगाने की पहल की है ताकि समय पर एहतियाती उपाय किए जा सकें। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पारादीप में, राज्य के उन स्थानों में से एक स्थित है, जिसे डॉपलर मौसम रडार लगाने के लिए चुना गया था। इस संबंध में, पृथ्वी विज्ञान और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एक दल के निर्देशानुसार, वर्ष 2000 में डॉपलर मौसम रडार पारादीप में स्थापित किया गया था। हालाँकि, यह अभी तक कार्यशील नहीं हो पाया है।

इस संबंध में, मैं गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे मामले की जांच करें और ओडिशा के पारादीप में डॉपलर मौसम रडार को प्रचालित करने के कार्य में तेजी लाएं, जिससे चक्रवातों के बारे में प्रभावी और अग्रिम जानकारी सुनिश्चित हो सके और परिणामस्वरूप जान-माल की रक्षा की जा सके।

22.07.2015

(चौदह) लक्षद्वीप के एंड्रौट द्वीप पर सुचारू यात्री और पोत संचालन की सुविधा के लिए ब्रेकवाटर संरचना का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

मोहम्मद फैजल (लक्षद्वीप): एंड्रौट द्वीप लक्षद्वीप द्वीपसमूह में सबसे बड़ा द्वीप है। एंड्रौट में अन्य द्वीपों के विपरीत जहां पूर्वी तरफ शेल्टर हैं, उत्तरी तरफ से यात्रियों को किनारे पर लाने और ले जाने का काम किया जाता है, । हालांकि ब्रेकवाटर संरचना के दूसरे चरण का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन अंदरूनी बर्थिंग सुविधा का शेल्टर पूरा नहीं हुआ है। कुल स्थान 223 मीटर का है जिसका उपयोग बर्थ बनाने के लिए किया जा सकता है। अब तक 55 मीटर और 40 मीटर की दो बर्थ मिलाकर कुल 99 मीटर की बर्थ बनाई गई हैं। लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स से अनुरोध किया गया है कि वे मौजूदा बर्थ के अलावा उपलब्ध जगह में तीन बर्थ के निर्माण का प्रस्ताव दे।

मैं सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को सही तरीके से शुरू किया जाए क्योंकि यह निश्चित रूप से यात्री और पोत संचालन की सुविधाओं में काफी हद तक सुधार करेगा।

22.07.2015

(पन्द्रह) ढांगर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी (हातकणगले): महाराष्ट्र की ढांगर जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में व्यापक रूप से विचरण करती है। एक ओर शहरीकरण और व्यापक खेती के कारण उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे इस समुदाय के विकास में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। इस समुदाय की अगली पीढ़ी भी शिक्षा, चिकित्सा सुविधा की कमी से ग्रस्त है और विकास का लाभ उठाने में असमर्थ है। हालांकि सरकार इस तथ्य को स्वीकार करती है कि यह समुदाय ओराण समुदाय की तरह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, लेकिन उन्हें इस दर्जे से वंचित रखा गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग खंड-2 (सूची 1955 पृष्ठ संख्या 66) पर भारत सरकार की रिपोर्ट में इस समुदाय के अति पिछड़ेपन का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। "डेस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल -1872"- इस पुस्तक के पृष्ठ -215 पर ओराण समुदाय (अनुसूचित जनजाति) के संबंध में जानकारी दी गई है और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले और पशु प्रबंधन से जुड़े ढांगर जैसे समुदाय के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ढांगर समुदाय की स्थिति को दर्शाने वाले कई सरकारी दस्तावेज हैं। भारत सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ढांगर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए।

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)...*

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपने स्थानों पर जाएं और वहीं से बोलें।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आप वहां जाएं और जो भी कहना चाहते हैं, कहें।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: सभा कल 23 जुलाई, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 02.02 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 23 जुलाई, 2015 / 1 श्रावण, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित